दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 09 अक्टूबर, 2023
उद्घोषित: 01 मार्च, 2024

<u>वैवा.आ.(कु.न्या.) 298/2023</u>

गौरव गुलाटी ..... अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री गौरी पुरी एवं सुश्री यामिनी मुखर्जी, अपीलार्थी के साथ अधिवक्तागण स्वयं

बनाम

गीता प्रवीण ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री ज्योति गुप्ता, प्रत्यर्थी के साथ अधिवक्ता स्वयं

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. नीना बंसल कृष्णा,</u>

वैवाहिक विवाद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जहाँ पति-पत्नी के बीच टकराव का मुख्य कारण समायोजन, समझ एवं साथ रहने की इच्छा की कमी है। ये कारक एक व्यावहारिक विवाह के रथ के चक्के हैं और यदि कोई भी पति-पत्नी साथ रहने के लिए अनिच्छुक हो जाता है तथा रिश्ते को खत्म करने का निर्णय करता है,

तो एक पति या पत्नी द्वारा किए गए व्यापक सुलह प्रयासों से भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (*एतद्पश्चात् "एचएमए, 1955"*) की धारा 28 के तहत वर्तमान अपील अपीलार्थी/पति की ओर से दायर की गई है, जिसमें दिनांक 07.01.2009 के निर्णय एवं डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थी/पति की ओर से दायर एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झ-क) एवं 13(1)(झ-ख) के तहत विवाह-विच्छेद याचिका खारिज कर दी गई है।

2. अपीलार्थी/पति (*जो विवाह-विच्छेद याचिका में याचिकाकर्ता था*) द्वारा **बताए गए तथ्यों के अनुसार**, अपीलार्थी/पति ने प्रत्यर्थी/पत्नी से दिनांक 16.04.1994 को दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। उनके विवाह से दिनांक 12.08.1995 को एक बेटी पैदा हुई।

3. **अपीलार्थी के अनुसार** प्रत्यर्थी/पत्नी (*जो विवाह-विच्छेद याचिका में प्रत्यर्थी थी*) ने शादी के 2-3 दिन बाद ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया तथा अलग आवास की मांग करने लगी। यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी/पति को प्रत्यर्थी द्वारा जन्माष्टमी जैसे त्यौहारों में भाग लेने से मना करके तथा अपीलार्थी द्वारा दिए गए उपहारों को सस्ते बताकर अस्वीकार करके क्रूरता के विभिन्न कृत्यों का सामना अपीलार्थी को करना पड़ा। अपीलार्थी/पति ने आगे दावा किया है कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने दिनांक 12.02.1995 को पुनः एक अलग

रसोई की मांग की तथा दिनांक 13.02.1995 को पक्षकारों के बीच मौखिक समझौता हुआ था।

4. मार्च, 1995 में, प्रत्यर्थी/पत्नी ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया तथा दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और इस तरह के अनियमित व्यवहार के कारण अपीलार्थी/पति को गंभीर मानसिक पीड़ा हुई।

5. अपीलार्थी/पति ने ज़ोर देकर कहा कि प्रत्यर्थी/पत्नी के पिता ने उसे कार्यालय में बुलाया तथा पूछा कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के घर में आयोजित *कीर्तन* के समय आभूषण क्यों नहीं पहने थे।

6. यह भी दावा किया गया कि प्रत्यर्थी/पत्नी पटेल नगर, नई दिल्ली में नगर निगम स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी तथा उसने प्रत्यर्थी/पत्नी का गीता कॉलोनी में तबादला करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह मई, 1995 में गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई थी, जबकि वह पारिवारिक व्यस्तता में थी। प्रत्यर्थी/पत्नी को दिनांक 10-11.06.1995 को सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसने अस्पताल में अपीलार्थी/पति एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। 3-4 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, वह वैवाहिक घर वापस आने के बजाय अपने माता-पिता के घर चली गई।

7. दिनांक 29.06.1995 को, गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होने के बाद प्रत्यर्थी/पत्नी ने पुनः स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन वैवाहिक घर लौटने के बजाय, वह अपनी *मौसी* के साथ रहने चली गई, जहाँ वह दिनांक 15.07.1995 तक रही। उस अवधि के दौरान, अपीलार्थी/पति एवं प्रत्यर्थी/पत्नी दोनों ही किराये के आवास की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसे किसी भी आवास को लेकर हामी नहीं भरी थी। अंततः, प्रत्यर्थी/पत्नी अपनी *मौसी* का घर छोड़कर अपने पैतृक घर में रहने चली गई तथा तब से उसने अपीलार्थी/पति के फोन कॉल का जवाब देने से इनकार कर दिया।

8. प्रत्यर्थी/पत्नी सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती हुई, जहाँ उसने दिनांक 12.08.1995 को एक बेटी को जन्म दिया। अपीलार्थी/पति एवं उसके परिवार के सदस्य प्रत्यर्थी/पत्नी से अस्पताल में मिलने गए, लेकिन प्रत्यर्थी/पत्नी के भाई ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यह आपसी सहमति से तय हुआ कि प्रसव के बाद, वह 40 दिनों तक अपने पैतृक घर में रही एवं उसके बाद, वह अपीलार्थी/पति के साथ उनके अलग आवास में रहेगी। इस प्रकार, अपीलार्थी/पति ने सितंबर, 1995 में कृष्ण नगर, दिल्ली में एक किराए का आवास लिया। हालाँकि, प्रत्यर्थी/पत्नी ने मातृत्व अवकाश के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर भी वह अपीलार्थी/पति के साथ किराए के आवास में शामिल नहीं हुई।

9. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी/पत्नी तथा उसके पिता नवंबर, 1995 के पहले सप्ताह में अपीलार्थी/पति की बहन के वैवाहिक घर पर भी गए तथा उन्होंने अपीलार्थी/पति के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उसे बहुत मानसिक पीड़ा हुई।

10. अपीलार्थी/पति ने यह भी दावा किया है कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के कार्यालय का दौरा किया तथा उसके बॉस की मौजूदगी में उस पर चिल्लाया। दिनांक 24.11.1995 को, प्रत्यर्थी/पत्नी पुनः अपीलार्थी/पति के कार्यालय में आई एवं संयुक्त सचिव, सुश्री रीवा नय्यर से मिली तथा उनके अनुरोध पर, अपीलार्थी/पति प्रत्यर्थी/पत्नी के साथ टीएसआर में उनके घर जाने के लिए कहा, लेकिन प्रत्यर्थी/पत्नी ने टीएसआर को पुलिस स्टेशन, तिलक नगर में अपीलार्थी/पति को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से निर्देशित किया। अपीलार्थी/पति को स्वयं को बचाने के लिए टीएसआर से कूदकर भागना पड़ा।

11. इस प्रकार अपीलार्थी/पति ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी/पत्नी मई, 1995 से उससे दूर रह रही है तथा किराए के आवास में भी उसकी कंपनी में शामिल होने से इनकार कर रही है। इसलिए क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग की गई।

12. **प्रत्यर्थी/पत्नी ने विवाह-विच्छेद याचिका का प्रतिविरोध किया है** एवं अपने लिखित कथन में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं कि विवाह-विच्छेद याचिका में वाद

हेतुक नहीं बताया गया है तथा अपीलार्थी/पति स्वयं प्रत्यर्थी/पत्नी के प्रति क्रूरता का दोषी है।

13. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह हमेशा से एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ हिंदू पत्नी रही है। उसने दावा किया कि जब वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी, तो उसे प्रत्यर्थी के ससुराल वालों ने अपने ससुराल में रहने की अनुमति नहीं दी तथा मजबूरी में प्रत्यर्थी/पत्नी अस्थायी रूप से अपनी *मौसी* के घर रहने चली गई।

14. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अक्सर अपीलार्थी/पति को उसे वैवाहिक घर वापस ले जाने के लिए बुलाया, लेकिन अपीलार्थी/पति ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए, प्रत्यर्थी/पत्नी ने अभिवचन दिया कि विवाह-विच्छेद याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

15. अभिवचनों पर, मुद्दों को दिनांक 26.05.2003 को विरचित किया गया था जो निम्नानुसार है:-

> *"(i) क्या प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है? ओपीपी*
> *(ii) क्या प्रत्यर्थी ने याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता का परित्यजन किया है? ओपीपी*
> *(iii) क्या याचिकाकर्ता अपनी त्रुटियों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीआर*

(iv) अनुतोष"

16. अपीलार्थी/पति **अभि.सा.**1 के रूप में उपस्थित हुए तथा उन्होंने **अभि.सा.**2/राजिंदर शाह सिंह, उनके पारिवारिक मित्र तथा **अभि.सा.**3/के.एल. सिक्का, उस परिसर के मकान मालिक का भी परीक्षण किया, जिसे अपीलार्थी/पति ने अक्टूबर, 2000 से लेकर उसके न्यायालय में विवाह-विच्छेद की मांग तक किराये पर लिया था।

17. प्रत्यर्थी/पत्नी ने स्वयं को **प्र.सा.1** के रूप में परीक्षण करवाया।

18. **विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश** ने अपीलार्थी/पति द्वारा बताई गई विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह अपीलार्थी/पति ही था जिसने प्रत्यर्थी/पत्नी को अलग रहने के लिए मजबूर किया एवं उसे वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पति किसी भी आरोप को साबित करने में सक्षम नहीं है तथा यह अपीलार्थी/पति ही था जिसने बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी पत्नी को छोड़ने का वैवाहिक अपराध किया था। **इसलिए, विवाह-विच्छेद याचिका खारिज कर दी गई।**

19. दिनांक 07.01.2009 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित, वर्तमान अपील को अपीलार्थी/पति द्वारा दायर की गई है।

20. **पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियां सुनी गईं तथा दस्तावेजों एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।**

<u>एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झ-क) के तहत क्रूरता:-</u>

21. मान लिजिये कि दोनों पक्षकारों का विवाह दिनांक 16.04.1994 को हुआ था तथा अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि विवाह के तुरंत बाद ही दोनों पक्षकारों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे।

22. प्रत्यर्थी/पत्नी दिनांक 26.05.1995 से अलग रह रहे थे, जिसका अर्थ है कि दोनों पक्षकार लगभग 13 महीने तक एक साथ रहे तथा पिछले 30 वर्षों से अलग रह रहे हैं। मूलतः, अपीलार्थी/पति पर प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा किए गए क्रूरता के कृत्य यह थे कि उसे अपीलार्थी/पति द्वारा उसके जन्मदिन पर दिए गए उपहारों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। प्रत्यर्थी/पत्नी ने *जन्माष्टमी* जैसे त्यौहारों में भाग लेने से इनकार कर दिया तथा वह अलग आवास पर जोर दे रही थी।

23. अपीलार्थी/पति द्वारा लगाए गए इन आरोपों में से कोई भी साबित नहीं हुआ और न ही उसने कोई गंभीर आरोप लगाया है, जो इतना गंभीर अथवा वजनदार हो कि क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद किया जा सके, जिससे अपीलार्थी/पति के मन में यह उचित आशंका पैदा हो सके कि पत्नी के साथ रहना उसके लिए असुरक्षित एवं हानिकारक है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला है कि एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झ-क) के तहत परिकल्पित क्रूरता का कोई भी कृत्य अपीलार्थी/पति द्वारा साबित

नहीं किया गया; बल्कि वे सामान्य नोक-झोक एवं मामूली शुरुआती समायोजन की घटनाएँ थीं।

24. **तदनुसार, हम विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत हैं तथा इस प्रकार प्राप्त निष्कर्षों में कोई कमी नहीं पाते हैं। इसलिए, हम देखते हैं कि विवाह-विच्छेद याचिका को विद्वान अति.जि.न्या. ने एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झ-क) के तहत सही तरीके से खारिज कर दिया है।**

<u>एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झ-ख) के तहत परित्यजन:-</u>

25. अपीलार्थी/पति ने एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झ-ख) के तहत परित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की भी मांग की थी।

26. अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि उनके विवाह के पश्चात् दिनांक 16.04.1994 को प्रत्यर्थी द्वारा समायोजन के मुद्दे एवं कथित क्रूरताएं (*हालांकि ऊपरोक्त अभिनिर्धारण के अनुसार साबित नहीं हुई*) थीं।

27. अपीलार्थी ने अपने परिसाक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य लगाया था कि प्रत्यर्थी, जो एमसीडी स्कूल में शिक्षिका थी, दिनांक 26.05.1995 को अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान अपने पैतृक घर गई थी। प्रत्यर्थी ने यह दावा करते हुए इसका प्रतिवाद किया है कि वास्तव में उस दिन वह अपीलार्थी के साथ सेंट स्टीफंस अस्पताल में अपनी नियमित जांच के लिए गई थी, लेकिन अपीलार्थी ने जांच के बाद उसे वापस घर लाने के बजाय, उसे अपने पैतृक घर

जाने के लिए मजबूर किया। जब वह अपने पैतृक घर में थी, उसे दिनांक 10/11.6.1995 को सेंट स्टीफंस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 3-4 दिनों तक भर्ती रही, लेकिन न तो अपीलार्थी और न ही उसके परिवार के सदस्य उससे मिलने आए। छुट्टी मिलने पश्चात्, उसके पास अपने पैतृक घर वापस जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। प्रासंगिक रूप से, इन सभी तथ्यों को अपीलार्थी ने अपनी प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया है।

28. पक्षकारों के संबंधित परिसाक्ष्यों से यह सामने आता है कि प्रत्यर्थी का स्कूल दिनांक 29.06.1995 पर पुनः खुल गया तथा स्वीकार किया कि वह अपनी नानी के घर रहने गई थी। प्रत्यर्थी ने बयान दिया था कि वह अपनी *मौसी* के घर जाने के लिए मजबूर थी क्योंकि अपीलार्थी उसे वैवाहिक घर ले जाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। जबकि, अपीलार्थी ने अपनी अभिसाक्ष्य में जोर देकर कहा था कि प्रत्यर्थी स्वयं वैवाहिक गृह में नहीं लौटी, जो वास्तव में प्रत्यर्थी के परिसाक्ष्य को यह विश्वास दिलाता है कि अपीलार्थी का उसे वैवाहिक गृह में ले जाने का कोई झुकाव नहीं था। इस प्रकार, अपीलार्थी के इस तर्क को प्रतिविरोध करना करना मुश्किल है कि प्रत्यर्थी स्वेच्छा से और उनकी मजबूर करने वाली परिस्थितियों के बिना, उसके वैवाहिक घर आने के बजाय उसकी *मौसी* के घर में रहना पसंद करेगी।

29. प्रत्यर्थी ने आगे दावा किया कि दिनांक 12.08.1995 को बेटी के जन्म पर न तो अपीलार्थी और न ही उसके परिवार के सदस्य उससे मिलने गए और

अस्पताल का खर्च भी उसने ही वहन किया। अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि जिस दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, उस दिन वह अस्पताल में मौजूद नहीं था। अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह अस्पताल में उससे मिलने केवल एक बार गया था एवं अस्पताल का खर्च भी प्रत्यर्थी ने ही वहन किया था, हालांकि उसने दावा किया कि अस्पताल का खर्च उसके विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किया गया था। इसका मतलब यह है कि उसने अस्पताल का खर्च वहन नहीं किया।

30. स्पष्ट रूप से, परिस्थितियाँ प्रत्यर्थी के परिसाक्ष्य की सत्यता का समर्थन करती हैं। बेशक, दिनांक 26.05.1995 से प्रत्यर्थी या तो अपनी मौसी के घर पर रही या प्रसव के बाद वह अपने माता-पिता के घर चली गई।

31. इसके अलावा, अपीलार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 12.08.1995 को बच्चे के जन्म से पूर्व, प्रत्यर्थी श्री मल्होत्रा के साथ अपीलार्थी के कार्यालय में गई थी, जहाँ श्री सौरभ, भाई एवं श्री संजय, अपीलार्थी के बहनोई पहले से ही मौजूद थे। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि उसे वैवाहिक घर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे उसे बहुत मानसिक पीड़ा हुई एवं परिणामस्वरूप दिनांक 12.08.1995 को बच्चे का समय से पूर्व जन्म हुआ, जबकि वास्तव में जन्म की तिथि 26.08.1995 थी।

32. अपीलार्थी का कभी भी यह इरादा नहीं था कि प्रत्यर्थी वैवाहिक घर वापस लौट आए, यह बात उसके प्रति-परीक्षा में इस बात से पुष्ट होती है कि वह प्रत्यर्थी के घर कभी नहीं गया, जब उसकी बेटी के जन्म के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली थी। प्रत्यर्थी के अपने माता-पिता के घर जाने के लिए उसका स्पष्टीकरण यह था कि यह सहमति हुई थी कि वह प्रसव के बाद 40 दिनों तक अपने माता-पिता के घर में रहेगी तथा उसके बाद वे किराए के आवास में चले जाएंगे। जबकि अपीलार्थी ने दावा किया है कि प्रत्यर्थी के पैतृक घर में रहने की सहमति थी, लेकिन उसका स्वयं की यह स्वीकारोक्ति कि वह प्रत्यर्थी के अस्पताल से छुट्टी के समय मौजूद नहीं था, फिर से प्रत्यर्थी के इस दावे की पुष्टि करता है कि अपीलार्थी को उसे वैवाहिक घर वापस ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

33. अपीलार्थी ने सितंबर, 1995 में कृष्णा नगर में परिसर किराए पर लेने की कहानी गढ़ने की कोशिश की थी। अपने दावों के समर्थन में, उसने मकान मालिक मंजीत सिंह एवं स्वयं के बीच निष्पादित एक किराया विलेख *प्र.अभि.सा.1/ग* पर भरोसा किया है। दिलचस्प बात यह है कि अपीलार्थी के परिसाक्ष्य के अनुसार, उसने सितंबर, 1995 में परिसर किराए पर लिया था, लेकिन यह किराया विलेख नवंबर, 1999 का है। इस किराया विलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी 1995 से अपने परिसर में किराएदार के रूप में रह रहा था।

34. प्रासंगिक रूप से, प्रति-परिक्षा में उनसे यह साक्ष्य पेश करने को कहा गया था कि उन्होंने कथित तौर पर प्रत्यर्थी के अलग रहने के आग्रह पर उनके द्वारा किराए पर लिए गए आवास का किराया चुकाया है, लेकिन उनके पास इसके समर्थन में कोई भी दस्तावेज नहीं था। उनके आयकर रिटर्न उनके सामने रखे गए, जिनमें उनके द्वारा किसी भी किराए का भुगतान किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने परिसर किराए पर लेने के बारे में अपने विभाग को कोई सूचना नहीं दी थी। इसलिए, अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि प्रत्यर्थी अलग रहने के लिए जोर दे रही थी या उसने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए सितंबर, 1995 में परिसर किराए पर लिया था। एक बार, यह माना जाता है कि अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि उसने सितंबर, 1995 में कभी भी कोई परिसर किराए पर लिया था, उसका यह दावा कि प्रत्यर्थी को किराए के आवास में ले जाने के उसके उद्देश्य के बावजूद, वह स्वयं उसके साथ नहीं आई यह असत्य हो जाती है। अपीलार्थी केवल किराया समझौता प्रस्तुत करके साक्ष्य तैयार कर रहा है, जिस पर भी दिनांक 18.11.1999 की तिथि है, अर्थात् 1995 से लगभग चार साल पुरानी है।

35. एक अन्य दिलचस्प पहलू जो इस पट्टा विलेख प्र.अभि.सा.1/ग से सम्मुख आती है, वह खंड 7 है, जो निम्नलिखित है:

*"7. पक्षकारों के बीच यह भी सहमति हुई है कि केवल किरायेदार/द्वितीय पक्षकार ही अपने कब्जे के तहत उक्त किरायेदारी परिसर का उपयोग करेगा तथा **उसकी पत्नी**, माता, पुत्र या द्वितीय पक्षकार के किसी अन्य संबंधी सहित कोई अन्य व्यक्ति प्रथम पक्षकार/मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना उक्त परिसर का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।"*

36. अपीलार्थी ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी को किराए के घर में नहीं ले गया। इससे प्रत्यर्थी के इस परिसाक्ष्य को और बल मिलता है कि उसका कभी भी अपनी पत्नी को वैवाहिक घर में ले जाने का कोई उद्देश्य नहीं था।

37. अपीलार्थी ने स्वयं यह भी कहा है कि नवंबर 1995 के पहले सप्ताह में प्रत्यर्थी अपने पिता के साथ अपनी बहन के ससुराल गई थी। प्रत्यर्थी के अनुसार वह अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग करने और अपीलार्थी को उसे वैवाहिक घर में वापस ले जाने के लिए मनाने के प्रयास में वहां गई थी। इस घटना को प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया है जिसमें उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि जैसे ही वह अपीलार्थी की बहन के ससुर के घर पहुंची, अपीलार्थी एवं उसका भाई वहां पहुंचे हुये थे तथा प्रत्यर्थी और उसके पिता को बाहर निकाल दिया एवं उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया।

38. प्रत्यर्थी द्वारा सुलह के प्रयास तब और आगे बढ़े जब दिनांक 18.11.1995 को वह उस यूनियन के प्रमुख से मिली जिसकी सदस्य अपीलार्थी की मां थी, लेकिन वहां भी उसे सफलता नहीं मिली।

39. अपीलार्थी ने परिसाक्ष्य के अपने शपथपत्र में दिनांक 11.08.1995 को कार्यालय में प्रत्यर्थी के दौरे से इनकार किया है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि वह छोटे बच्चे के साथ दिनांक 24.11.1995 को उसके कार्यालय में आई थी तथा उसके अधिकारी सुश्री रेवा नैयर, संयुक्त सचिव से मिली थी, जिन्होंने उन दोनों को परामर्श दिया तथा अपीलार्थी से प्रत्यर्थी एवं बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए कहा था। अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जब वे टीएसआर में उसके घर जा रहे थे, वह बीच रास्ते में उतर गया तथा भाग गया। उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि प्रत्यर्थी ने टीएसआर चालक को उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का निर्देश दिया था तथा गिरफ्तार होने के डर से वह बीच रास्ते में ही उतर गया। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने समझाया है कि मुश्किल से 100 मीटर की यात्रा करने के बाद, अपीलार्थी ने टीएसआर को रुकवाया और भाग गया क्योंकि वह उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अपीलार्थी यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि उसने किराए पर अलग परिसर लिया था, जैसा कि उसने दावा किया था।

40. प्रत्यर्थी का यह परिसाक्ष्य कि उसने सुलह हेतु लगातार प्रयास किए, सत्य साबित होती है, क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी ने कभी भी किसी भी प्राधिकरण से कोई शिकायत नहीं की, चाहे वह पुलिस हो, विधिक सहायता हो या सीएडब्ल्यू सेल हो, एवं न ही उसने विवाह-विच्छेद याचिका दायर होने तक कोई मुकदमा शुरू किया।

41. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पर्याप्त सबूतों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उसे अपने साथ वापस ले जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। जबकि उसे वरिष्ठ अधिकारी ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह तुरंत टीएसआर से बाहर निकलकर उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया। अपीलार्थी के स्वीकारोक्ति से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसका कभी भी प्रत्यर्थी को वैवाहिक घर वापस ले जाने का कोई उद्देश्य नहीं था तथा वह प्रत्यर्थी को अपने घर में अपने साथ रखने की अपनी आशंका के लिए कोई भी परिस्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया है।

42. सुलह करने तथा वैवाहिक घर वापस जाने के लिए प्रत्यर्थी के प्रयास केवल अपीलार्थी के उच्च कार्यालय से हस्तक्षेप करने के प्रयास तक ही सीमित नहीं रहे।

43. उसने अपने पिता एवं भाई के साथ चंडीगढ़ के लिए बस ली, ताकि वह अपीलार्थी के मामा श्री खरबंदा से मिल सके, जिनका अपीलार्थी के परिवार पर प्रभाव था, जैसा कि उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था। अपीलार्थी के चचेरे

भाई डॉ. विनोद नारंग भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। प्रत्यर्थी ने बयान दिया है कि उसने चंडीगढ़ जाते समय डॉ. विनोद नारंग से बात की थी, लेकिन उसने उनके मामले में हस्तक्षेप करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उन्हें लगा कि अपीलार्थी का परिवार उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देगा। उसने अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों से संपर्क करके सभी प्रयास किए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली।

44. सुलह के लिए उसके प्रयास यहीं समाप्त नहीं हुए। बेशक, उसने अपने प्रयास जारी रखे तथा अंततः दिनांक 31.07.1997 को पश्चिम विहार, दिल्ली में अपीलार्थी के पिता के मित्र डॉ. टक्कर के क्लिनिक में एक बैठक आयोजित की गई। क्लिनिक में दूसरी बैठक दिनांक 11.09.1997 को हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि प्रत्यर्थी की परिसाक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी एवं उसके पिता उसे वैवाहिक घर में न ले जाने पर पूरी तरह अड़े हुए थे।

45. संपूर्ण साक्ष्य, जो अनिवार्य रूप से आक्षेपित नहीं है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, यह साबित करता है कि अपीलार्थी ने हर समय प्रत्यर्थी द्वारा किए गए सुलह के प्रयासों का विरोध किया तथा प्रत्यर्थी के लगातार प्रयासों के बावजूद उसे वैवाहिक घर में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। अपीलार्थी यह भी नहीं बता पाया है कि वह कभी प्रत्यर्थी से मिलने क्यों नहीं गया या उसे वापस लाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया।

46. परित्यजन को सफलतापूर्वक साबित करने के लिए दो तत्व आवश्यक हैं: *अभित्यजन का तथ्य एवं अभित्यजन का आशय* अर्थात् पृथक्करण का तथ्य, एवं सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का उद्देश्य, जैसा कि *बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती* 1956 एससीसी ऑनलाइन एससी 15 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

47. वर्तमान मामले में, यह साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी ने बिना किसी उचित बहाने के वैवाहिक घर छोड़ दिया था, बल्कि यह स्थापित है कि अपीलार्थी ने उसे बाहर जाने के लिए मजबूर किया। यह भी साबित नहीं हुआ है कि प्रत्यर्थी के मन में वैवाहिक घर छोड़ने की कोई दुश्मनी या उद्देश्य था। **अपीलार्थी यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को छोड़ दिया था। इस प्रकार, विद्वान अति.जि.न्या, दिल्ली द्वारा एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झ-ख) के तहत परित्यजन के आधार पर अपीलार्थी को विवाह-विच्छेद से इनकार कर दिया गया था।**

निष्कर्ष:-

48. हम जानते हैं कि यह एक टूटी हुई शादी है, जिसमें पक्षकार लगभग 30 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं एवं पक्षकारों के बीच पुनः जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहाँ विवाह समाप्त हो चुका है, लेकिन धारा 23(1)(क) एचएमए, 1955 के तहत सिद्धांत को मान्यता देते हुए, वर्तमान मामले में विवाह-विच्छेद देना अपीलार्थी के अड़ियल एवं अनुचित

आचरण को और अधिक पुष्ट करता है, क्योंकि उसने एकतरफा रूप से अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया है तथा वास्तव में बिना किसी त्रुटि के उसे वैवाहिक संबंध से वंचित करके प्रत्यर्थी के साथ अवर्णनीय क्रूरता की है।

49. हम उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 13(1)(झ-क) एवं (झ-ख) एचएमए, 1955 के तहत क्रूरता एवं परित्यजन के आधार पर अपीलार्थी की विवाह-विच्छेद याचिका को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया है एवं इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

50. **तदनुसार, अपील को लंबित आवेदन(ओं) के साथ, यदि कोई हो, खारिज किया जाता है।**

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

1 मार्च, 2024
S.Sharma/va

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*